

राजस्थान सरकार
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, श्री
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम कोर्ट) कैम्प श्री
 84/25

:-आदेश:-

प्रार्थी के "खाता सुरक्षा" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी श्री 30/6/25 को मू.अ.नि. काकोडे
 को रिपोर्ट तथा तहसीलदार श्री / नायब तहसीलदार श्री की अनुमति के आभार पर राजस्थान
 मू-राजस्व अधिनियम 1950 की धारा 136 के अन्तर्गत में ग्राम राहसोल 30/6/25 य जिला श्री
 की जनाबन्दी सम्बन्ध 2073-2 में खाता नम्बर 30-21 में वर्तमान में दर्ज
 प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से सुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क्र.सं.	ग्राम	खाता नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
01.	सर	30, 31	रखा दे	रखा दे

पीठासीन अधिकारी
 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी, श्री
 जिला-राजसमन्द
 दिनांक - 30/6/25

क्रमांक - 84/2025

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर फाल्गुन रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री को सूचनाथ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
 लोक अदालत
 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी, श्री
 जिला-राजसमन्द